BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 290/2025

IN THE MATTER OF:

Hemant Singh Gonia & Ors.

...PETITIONERS

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

...RESPONDENTS

INDEX

Sr. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Response Affidavit filed on behalf of District Level Development Authority, Nainital (Respondent No. 5).	
2.	**ANNEXURE 1:** Copy of the proposal placed before the DLDA Board Meeting dated 21.04.2025 regarding rapid increase of construction activity in Kainchi Dham area and proposal submitted to the Government for incorporating Kainchi Dham within the jurisdiction of DLDA Nainital.	
3.	**ANNEXURE 2:** Copy of Government Order dated 04.08.2025 bearing G.O. No. 360/V-Aa/2025 whereby Kainchi Dham area was formally brought within the jurisdiction of the District Level Development Authority, Nainital.	

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

4.	**ANNEXURE 3 (Colly):** Copies of intimation notices issued by DLDA to owners of buildings under construction prior to 04.08.2025, directing compliance with DLDA Nainital building bye-laws.	
5.	**ANNEXURE 4 (Colly)** : Documents relating to comprehensive survey conducted by DLDA and notices issued to commercial and non-commercial buildings found non-compliant with applicable bye-laws, presently pending before the DLDA Court.	
6.	**ANNEXURE 5:** Copy of the proposal placed before the 24th DLDA Board Meeting dated 08.01.2026 regarding compounding of structures and future regulatory action, submitted to the Government of Uttarakhand for approval.	
7.	**ANNEXURE 6:** Relevant provisions / documents showing restrictions on construction within 5 meters of Shipra (if drain) and within 30 meters (if river) treating such construction as encroachment under applicable building bye-laws.	

FILED BY

DEEPAK BORA
Counsel for the State of Uttarakhand
17, New Lawyers Chambers,
Setalvad Block,
Supreme Court of India,
New Delhi- 110001

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 290/2025

IN THE MATTER OF:

Hemant Singh Gonia & Ors. ...**PETITIONERS**

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...**RESPONDENTS**

<u>RESPONSE BY WAY OF AFFIDAVIT BY DISTRICT LEVEL DEVELOPMENT AUTHORITY, NAINITAL (RESPONDENT NO. 5)</u>

I, Vijay Nath Shukla, S/o Pyare Lal Shukla, aged about 53 years, presently posted as Secretary, District Level Development Authority (DLDA), Nainital, having office at Tallital, Nainital, Uttarakhand – 263001, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Secretary, District Level Development Authority, Nainital, and is well acquainted with the facts and circumstances of the present case and is duly authorized and competent to swear and file the present Response Affidavit before this Hon'ble Tribunal.

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

NOTARY
Dr. P.S. Bhakuni
Advocate
HQ-NAINITAL
R. No. 33 (1) (10)/2011
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

2. That this Hon'ble Tribunal, vide paragraph 3 of its Order dated 27.01.2026, was pleased to implead direct Respondent No. 5 deeming it to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case. The relevant paragraphs of the aforesaid order are herein as follows:

> "....
>
> *3. In view of the averments made in the original application, observations made in the report of the Joint Committee and the facts and circumstances of the case, we consider presence of District Development Authority Nainital through its Secretary, Chief Development Officer, Nainital and Gram Panchayat, Kainchi Dham through its Sarpanch to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case and accordingly they are impleaded as respondents no. 5, 6 and 7.*
>
> ...."

3. That in view of the rapid increase in construction activities in the Kainchi Dham area, the issue was placed before the Board Meeting of the District Level Development Authority held on 21.04.2025. In the said meeting, the Authority decided to place a proposal before the State Government for formally incorporating the Kainchi Dham area within the jurisdiction of the Authority. A copy of the said proposal submitted to the Government have been annexed herewith and marked as **Annexure 1**.

4. That thereafter Kainchi Dham, District Nainital, was formally brought within the jurisdiction of the District Level Development Authority, Nainital on 04.08.2025, vide Government Order No. 360/V-Aa/2025. The copy of the aforesaid Government Order dated 04.08.2025 has been annexed herewith and marked as **Annexure 2**.

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND
Advocate
11/3/2026

5. That even prior to the formal inclusion of the area within the jurisdiction of the Authority, the District Level Development Authority issued intimation notices to owners of buildings under construction, advising them to ensure that their constructions complied with the applicable DLDA Nainital Building Byelaws in anticipation of the regulatory transition. The copies of such notices have been annexed herewith and marked as **Annexure 3 (colly)**.

6. That following the formal incorporation of the area within the jurisdiction of the Authority, a comprehensive survey was conducted by the DLDA team to assess construction activities in the Kainchi Dham area. As per the standard procedure, notices were issued to all commercial and non-commercial buildings found to be in noncompliance with the applicable byelaw provisions, and the concerned matters are presently pending before the DLDA Court. The copies of the said survey and notices issued have been annexed herewith and marked as **Annexure 4 (colly)**.

7. That during the 24th Board Meeting of the Authority held on 08.01.2026, the Authority discussed upon issues relating to compounding of existing structures and possible relaxations in order to regulate development in the area. A proposal seeking directions on these matters and the future course of action has been submitted to the Government of Uttarakhand for approval. The copies of the same have been annexed herewith and marked as **Annexure 5**.

8. That as per the applicable Building Byelaws, any construction located within 5 meters of the Shipra (if classified as a drain), or within 30 meters of the Shipra (if classified as a river) is treated as an encroachment and categorized as illegal construction. The relevant provisions and documents relating to the said restrictions have been annexed herewith and marked as **Annexure 6**.

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
Dr. P.S. ...kuni
Advocate
HQ-NAINITAL
R. No. 35(1)(19)/2011
11/3/2026

9. That presently all private construction activities in the Kainchi Dham area have been halted, except those relating to Government schemes or authorized public works.

10. That the DLDA team conducts regular inspections in order to prevent any further encroachment on the Shipra River / drain.

11. That the Authority remains committed to taking strict action against violators in accordance with the provisions of the Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973.

12. That the answering Respondent respectfully submits that the District Level Development Authority has taken regulatory and enforcement measures to control unauthorized construction and prevent encroachments, particularly in environmentally sensitive areas including the vicinity of the Shipra River and Kainchi Dham.

13. That the Authority remains committed to complying with all further directions that may be issued by this Hon'ble Tribunal and to ensuring planned and environmentally responsible development in the area.

14. That the present Response Affidavit is being filed in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal and the same may kindly be taken on record.

Dr. P.S. ... Advocate NOTARY ... R. No. 39 ... UTTARAKHAND

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above-named deponent, do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 14 of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Nainital on this 11th day of March, 2026.

DEPONENT

S No of Regtr
REGISTERED
94

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
Dr. P.S. Bhakuni
Advocate
HQ-NAINITAL
R. No. 30(1) (10)/2011
11/3/2026

Vijay Nath Shukla S/o Pyare Lal Shukla Secretary District Level
...Dep. nent Identified by Development Authority
...rned & Verified the Contents of (DLDA)
Affidavit at Nainital
Date 11/3/2026 at Nainital
(Dr. Pooran Singh Bhakuni)
Advocate
Notary, HQ—NAINITAL
Distt. Nainital (UK)

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

आयुक्त सभागार, तल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड), फोन: 05942-232800,
Website: www.ddantl.org.in
E-mail I.D.- secretaryldanainital@rediffmail.com

पत्रांक: 2189 /नैजिविप्रा/2025-26 दिनांक: 05/03/2026

To

The District Magistrate,
Nainital

Sub: Intimation in lieu of the hearing dated 27th January, 2026 in Original Application No. 290/2025, bearing title "Hemant Singh Gonia Vs. Sate of Uttarakhand & Ors.", before the Hon'ble Nainital Green Tribunal.

Sir,

Please refer to the letter dated January 28, 2026, issued by Shri Deepak Bora, Advocate for the State of Uttarakhand at the Hon'ble National Green Tribunal (NGT). Through the said letter, instructions have been issued to provide a report in the matter of Original Application No. 290/2025, titled "Hemant Singh Gonia Vs. State of Uttarakhand & Ors." currently pending before the Hon'ble Green Tribunal. These instructions follow the directives to implead the District Level Development Authority (DLDA), Nainital, as Respondent No. 5 in the case.

In compliance with the above, the information pertaining to the District Level Development Authority, Nainital, is as follows:-

1. In view of the rapid increase in construction activity at Kainchi Dham, the matter was tabled during a DLDA Board Meeting dated 21-04-2025. Consequently, a proposal was submitted to the State Government to formally incorporate Kainchi Dham into the DLDA Nainital jurisdiction (Annexure No. 1).
2. That Kainchi Dham, District Nainital, was officially brought under the purview of the District Level Development Authority (DLDA), Nainital, on 04 August 2025, vide G.O. No. 360/V-Aa/2025 (Annexure No. 2).
3. That prior to 04 August 2025, although the area was not yet formally under its jurisdiction, the DLDA Nainital served intimation notices to owners of buildings under construction. These notices advised owners to ensure their constructions complied with DLDA Nainital bye-laws in anticipation of the regulatory transition (Annexure No.3).
4. Following the formal incorporation, a comprehensive survey was conducted by the DLDA team. As per standard procedure, notices were issued to all commercial and non-commercial buildings found in non-compliance with bye-law provisions. These cases are currently pending before the DLDA Court (Annexure No. 4).
5. During the 24th Board Meeting dated 08-01-2026, the Authority discussed the compounding of existing structures and potential relaxations. A formal proposal seeking directions on these matters and the future course of action has been submitted to the Government for approval (Annexure No. 5).

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

6. Pursuant to the applicable Building Bye-laws, any construction situated within 5 meters of the Shipra (if classified as a drain) or within 30 meters (if classified as a river) is deemed an encroachment and categorized as illegal construction (Annexure No. 6).
7. Currently, all private construction activity has been halted, with exceptions made only for Government schemes or authorized public works. The DLDA team conducts regular inspections to prevent further encroachment on the Shipra River/drain. The DLDA remains committed to the protection of water bodies and shall take strict action against violators under the Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973.

The above facts are respectfully submitted for the kind consideration of the Hon'ble Tribunal. The Respondent Authority remains committed to complying with any further directions passed by this Hon'ble Tribunal.

Encl-As above

Regards

(Vijay Nath Shukla)
Secretary,
DLDA, Nainital

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

To,

Date: 28-01-2026

1. The District Magistrate,
   Nainital

2. The Principal Secretary,
   Environment and Forest
   Dehradun,

Subject: Intimation in lieu of the hearing dated 27th January, 2026, in Original Application No. 290/ 2025, bearing title, "Hemant Singh Gonia versus State of Uttarakhand & Ors", before the Hon'ble National Green Tribunal.

Sir,

With due respect, this is to inform you that the above-mentioned matter was listed before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on 27th January, 2026. In accordance with the oral directions of the Hon'ble Tribunal, the present intimation is being issued for your information and necessary action.

During the course of hearing, it was submitted that as per the revenue records, Shipra is recorded as a drain and not as a river. The Hon'ble Bench sought clarification as to whether the said water body was subsequently converted into a drain and also took note of the presence of rivulets in the surrounding area. It was further stated that a storm water drain exists in front of the concerned area and that no sewage is being discharged therein.

The Hon'ble Tribunal further sought clarification regarding the origin of the said drain. It was submitted that the concerned stretch had been inspected at approximately 20–40 locations starting from Bhowali. It was also placed on record that 53 persons have been identified as encroachers by the District Development Authority (DDA).

The Hon'ble Bench raised concerns regarding the functioning of several hotels and establishments which have been operating for a number of years without obtaining the requisite statutory permissions. The Tribunal sought details regarding the year of establishment, extent of land encroached, and questioned how such establishments were permitted to function without the necessary approvals for such a prolonged period.

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

The Hon'ble Tribunal further expressed concern regarding the absence of effective action by the authorities and queried why no demolition or removal proceedings had been initiated despite the passage of time? The Bench also emphasized the need for visual documentation, including drone imagery, and suggested reference images of the stretch from Kainchi Dham to the downstream area, as it existed approximately fifty years ago.

The Hon'ble Bench also examined the adequacy of solid waste management arrangements, particularly in view of the heavy inflow of devotees during religious gatherings at Kainchi Dham. The Tribunal questioned the effectiveness of issuing show cause notices in the absence of concrete enforcement measures and suggested that a carrying capacity and management system, similar to the model of Badrinath-Kedarnath be adopted. The Bench further orally remarked that, despite the area being situated within the same State of Uttarakhand, the failure to implement a similar mechanism is unjustified and inexplicable.

During submissions, figures of ₹27,10,893 from garbage collection and ₹4,47,103 from recycling operations were remarked as revenue by the Hon'ble Bench, upon which the Bench sought clarification regarding the duration period over which such revenue was generated.

The Hon'ble Tribunal also impleaded the following authorities as additional respondents/parties to the proceedings:

1. Secretary, District Development Authority (DDA);

2. Chief Development Officer, Gram Panchayat, Nainital; and

3. Pradhan/Sarpanch, Kainchi Dham, Nainital.

The Hon'ble Tribunal expressed concern regarding the lack of effective compliance and also questioned the non compliance with the reports submitted by Peyjal Nigam, Bhimtal. The Bench further took note of the non-establishment of STPs, lack of budgetary sanction, and continued inaction at the level of the State authorities.

The Hon'ble Bench further observed that once any State authority is impleaded as a party, responsibility cannot be dis-aggregated, and the State as a whole remains accountable for compliance. The absence of any Standard Operating Procedure (SOP) for environmental management in the concerned area was also noted.

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

The Hon'ble NGT further made oral observations to the effect that when illegal constructions were taking place, no action was taken by the concerned authorities. It was observed that only after the Tribunal took cognizance of the matter were show cause notices issued. The Tribunal further questioned why the encroached properties have not been demolished till date and also noted that even now there appears to be no clarity regarding the extent of demolition proposed to be carried out.

Final Directions of the Hon'ble Tribunal:

1. The grievance raised by the appellant regarding pollution of River Shipra at Kainchi Dham and non-compliance with the Solid Waste Management Rules, 2016 was taken on record.

2. Respondent No. 5, Secretary, District Development Authority (DDA) was directed to consider the facts and circumstances of the case and ensure proper maintenance by the said Authority.

3. Respondent No. 5, Secretary, District Development Authority (DDA) was further directed to furnish complete details regarding constructions and encroachments, including names of encroachers and the extent of encroachment, and to take appropriate action for removal thereof.

3. Respondents Nos. 6 and 7, Chief Development Officer, Pradhan Gram Panchayat through Sarpanch, Kainchi Dham, Nainital, were directed to provide details of action taken with respect to solid waste management and ensure full compliance with the applicable rules.

For your kind reference and convenience, a copy of the order passed by the Hon'ble NGT is enclosed herewith.

Thanking You,
Warmest Regards,
Deepak Bora,
Counsel for The State of Uttarakhand NGT

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

Item No. 03

Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 290/2025

Hemant Singh Gonia and Others. Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

Date of hearing: 27.01.2026

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicants: None for the applicant.

Respondents: Mr. Deepak Bora, Advocate for respondents no. 1 to 3.
Mr. Mukesh Verma, Advocate for respondent no. 4.

ORDER

1. The Applicants- Hemant Singh Gonia and other residents of Hira Vihar, Kenal Road, Malla Gorakhpur Tikonia, Haldwani, Nanital, Uttarakhand have sent present letter petition dated 03.03.2024 to this Tribunal, which has been treated and registered as O.A. No. 290/2025.

2. The applicants have raised grievances regarding pollution of River Shipra in Kainchi Dham in district Nainital and lack of proper management of Solid Waste and sewage and industrial/commercial effluent.

3. In view of the averments made in the original application, observations made in the report of the Joint Committee and the facts and circumstances of the case, we consider presence of District Development Authority Nainital through its Secretary, Chief Development Officer, Nainital and Gram Panchayat, Kainchi Dham through its Sarpanch to be

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case and accordingly they are impleaded as respondents no. 5, 6 and 7.

4. The Registry is directed to amend the memo of parties and to issue notices to newly added respondents no. 5, 6 and 7.

5. Mr. Deepak Bora, learned counsel, who is already appearing for respondents no. 1 to 3 has accepted notice for newly added respondents no. 5, 6 and 7.

6. Learned counsel for respondents no. 1 to 3 and 5 to 7 seeks one months' time for filing responses on behalf of respondents no. 5 to 7.

7. Response by respondents no. 5 to 7 may be filed within one month. In its response, respondent no. 5 shall give all requisite details regarding constructions raised and compliance status thereof, encroachments if any made with names of the encroachers, names, parentage and address of the encroacher, also details of the area encroached upon and action taken for removal of encroachments.

8. In their responses, respondents no. 6 and 7 shall specifically mention all details regarding solid waste and sewage and industrial/commercial effluent management and compliance with Solid Waste Management Rules, 2016.

9. List on 16.03.2026 for further hearing.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 27th, 2026
Original Application No. 290/2025/AB

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

Annexure-1

आज दिनांक 21 अप्रैल, 2025 (दिन सोमवार) को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 23वीं बोर्ड बैठक आयुक्त सभागार (प्राधिकरण कार्यालय), तल्लीताल, नैनीताल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1.	श्री दीपक रावत, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल	– अध्यक्ष
2.	श्रीमती वन्दना, जिलाधिकारी, नैनीताल/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।	– उपाध्यक्ष
3.	श्री अतर सिंह, अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून (सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि)	– सदस्य (पदेन)
4.	श्रीमती ऋचा सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम।	– सदस्य (पदेन)
5.	श्री शशि मोहन श्रीवास्ताव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून (ऑनलाईन माध्यम से उपस्थित)/ श्री रघुवीर लाल भारती, अवर अभियन्ता (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)।	– सदस्य (पदेन)
6.	श्री दिनेश कुमार राणा, मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल (सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि)।	– सदस्य (पदेन)
7.	श्री अशोक प्रजापति, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम (प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन एवं निर्माण निगम, देहरादून के प्रतिनिधि)	– सदस्य (पदेन)
8.	गजाला कमाल, सभासद, नगर पालिका परिषद, नैनीताल	– सदस्य (निर्वाचित)
9.	श्री मनोज साह जगाती नगर पालिका परिषद, नैनीताल	– सदस्य (निर्वाचित)

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति–

1. श्री विजयनाथ शुक्ल, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
2. श्री ऋचांशु शर्मा, मुख्य वित्त अधिकारी, जि0स्त0वि0प्रा0, नैनीताल।
3. श्री सुधाशु सिंह, सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0, नैनीताल।
4. श्री शिवम् धीमान, सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0, नैनीताल।
5. श्री अभिषेक कुमार, सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0, क्षे0का0, हल्द्वानी।
6. श्री अंकित सिंह बोरा, अवर अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0, नैनीताल।
7. श्री हेम चन्द्र उपाध्याय, अवर अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0, क्षे0का0, हल्द्वानी

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। बैठक का कोरम पूर्ण होने पर अध्यक्ष की अनुमति से 23वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं का क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

मद संख्या– 23.01

22वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 22वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.06.2024 की कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या–722/नैजिविप्रा/एक–2023/22वींबो0बै0/2023–24 दिनांक 08.07.2024 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या–I/26407 दिनांक 19 जुलाई, 2024 द्वारा टिप्पणी प्रेषित की गयी है। विवरण निम्नानुसार हैः–

1. मद संख्या–22.15– जनहित याचिका संख्या–119/2013, अनुज कंसल बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 के बिन्दु संख्या–14 (v) में मार्ग–दर्शन के सम्बन्ध में– अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह सुझाव दिया

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि :–

1. प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत जिन क्षेत्रों की महायोजना निर्मित नहीं है, में निर्मित क्षेत्रों के निर्धारण हेतु प्राधिकरण, राजस्व विभाग एवं नियोजन विभाग से संयुक्त सर्वे कराते हुये प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
2. नैनीताल एवं हल्द्वानी–काठगोदाम महायोजना को यथाशीघ्र तैयार किये जाने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया जाए।

मद संख्या–23.35(8)

जनपद–नैनीताल के कैंची धाम क्षेत्र में हो रहे अनियोजित/अनियन्त्रित निर्माण कार्यो पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:– बोर्ड की दिनांक 27–06–2024 को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या मद संख्या–22.23 (3) में यह पाया गया था कि दिन–प्रतिदिन श्रद्धालुओं में बढोतरी हो रही है एवम् उसी अनुपात में वहां होटल/व्यवसाय प्रतिष्ठानों का निर्माण एवम् संचालन अत्यधिक बढ़ा है। कैंची महोत्सव के दौरान यह पाया गया कि निर्माण कार्य नियोजित रूप से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अनियोजित विकास होने के साथ–साथ श्रद्धालुओं को असुविधा एवम् अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा एवम् शिप्रा नदी में प्रदूषण (प्रदूषण मानकों का अनुपालन न होने के कारण) की पूर्ण सम्भावनायें है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कैंची धाम के भविष्य को देखते हुए नियोजित विकास नितान्त आवश्यक है। अतः कैंची धाम में वर्तमान में हो रहे/हो चुके निर्माणों का सत्यापन करा लिया जाये। भविष्य में प्राधिकरण के मानकों की पूर्ति के बिना अर्थात् कोई भी व्यावसायिक/गैर–व्यावसायिक निर्माण कार्य न किये जाये। सत्यापन रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये। कैंची धाम के नियोजित विकास के लिए कैंची धाम के 02 कि0मी0 की परिधि में प्राधिकरण की अनुमति से निर्माण कार्य के बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को शासन को प्रेषित करते हुए क्षेत्र को प्राधिकरण अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का भी अनुरोध किया जाये।

बोर्ड की विगत बैठक के प्रस्ताव में लिए गए निर्णय की कार्यवाही के अनुपालन में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कैंची धाम में निर्माण कार्यों का सत्यापन कराया गया। उनके द्वारा कैंची धाम में हो रहे व्यवसायिक निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी (10 फोटोग्राफस संलग्न) का अवलोकन बोर्ड को कराया गया। यह संज्ञान में लाया गया कि लगभग 52 निर्माणों को भवन उपविधि के मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया गया है एवम् कैंची धाम के 02 कि.मी. की परिधि में प्राधिकरण की अनुमति की अनिवार्यता से निर्माण कार्य की किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जिस पर सहमति अपेक्षित है।

अधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सर्वे के दौरान पाया गया कैंची धाम क्षेत्र में निरन्तर निर्माण कार्य गतिमान हैं। अनियोजित एवम् अनियन्त्रित निर्माण किया जा रहा है। निर्माण की आड़ में सार्वजनिक भूमि में भी कब्जा करते हुए अतिक्रमण किया जा रहा है। भवाली से क्वारब मार्ग अत्यधिक संवेदनशील है, इस मार्ग में निरन्तर भू–स्खलन होने से क्वारब मार्ग अधिकांशतः

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

बन्द रहता है। इस प्रकार के अनियोजित एवम् अनियन्त्रित निर्माण से दुर्घटनाओं के घटने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि शासन से अनुमति प्राप्त होने की प्रत्याशा में कैंची धाम के 02 कि.मी. (मोटर मार्ग की परिधि) दोनो ओर में भवन उपविधि के मानकों (220 मीटर तक) का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। टीमों के माध्यम से विस्तृत सत्यापन भी कराया जाए। यदि सार्वजनिक मार्ग/सम्पत्ति में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, तो अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही लोक निर्माण विभाग एवम् राजस्व विभाग के सहयोग से सुनिश्चित की जाए। इस सीमा तक भवन उपविधि के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

मद संख्या–23.35(9)

<u>जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु संरचनात्मक कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

<u>कार्यवाही:–</u> बोर्ड को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2024-25 के अन्तर्गत धनावंटन हेतु ₹240.701 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। शासन स्तर से वित्तीय वर्ष 2024–25 में धनराशि ₹72.143 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्राधिकरण स्तर से योजनाओं को प्रारम्भ किये जाने हेतु योजनाओं के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की गयी थी, को समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की गयी है। Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2025-26 हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जनहित के महत्वपूर्ण योजनाओं की शासन स्तर से स्वीकृति की प्रत्याशा में योजनाओं को प्रारम्भ किये जाने हेतु 25 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु योजना लागत का 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण स्तर से अवमुक्त किये जाने व शासन से धनराशि प्राप्त होने पर समायोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में, उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल

आयुक्त/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

प्रेषक,

जिलाधिकारी, नैनीताल/
उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

सेवा में,

सचिव,
आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

पत्रांकः 849 /नैजिविप्रा/2024–25 दिनांकः 26 जुलाई, 2024

विषयः कैंची धाम, नैनीताल में हो रहे निर्माण कार्यों को नियंत्रित किये जाने हेतु कैंची धाम के 02 कि0मी0 की परिधि के क्षेत्र को प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कैंची धाम में अनियोजित हो रहे निर्माण कार्यों को नियन्त्रित किये जाने हेतु कैंची धाम के 02 कि0मी0 की परिधि में प्राधिकरण के मानकों के अन्तर्गत प्राधिकरण के माध्यम से निर्माण कार्य में अनुमति की अनिवार्यता के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की 22वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.06.2024 के मद संख्या–22.23 (3) (छायाप्रति संलग्न) में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया और यह पाया गया कि दिन–प्रतिदिन श्रद्धालुओं में बढोतरी हो रही है एवम् उसी अनुपात में वहां होटल/व्यवसाय प्रतिष्ठानों का निर्माण एवम् संचालन अत्यधिक बढ़ा है। कैंची महोत्सव के दौरान यह पाया गया कि निर्माण कार्य नियोजित रूप से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अनियोजित विकास होने के साथ–साथ श्रद्धालुओं को असुविधा एवम् अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा एवम् शिप्रा नदी में प्रदूषण (प्रदूषण मानकों का अनुपालन न होने के कारण) की पूर्ण सम्भावनायें है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कैंची धाम में भविष्य को देखते हुए नियोजित विकास नितान्त आवश्यक है। अतः कैंची धाम में वर्तमान में हो रहे/हो चुके निर्माणों का सत्यापन करा लिया जाये। भविष्य में प्राधिकरण के मानकों की पूर्ति अर्थात् कोई भी व्यावसायिक/गैर–व्यावसायिक निर्माण कार्य न किये जाये। सत्यापन रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये। कैंची धाम के नियोजित विकास के लिए कैंची धाम के 02 कि0मी0 की परिधि में प्राधिकरण की अनुमति से निर्माण कार्य के बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को शासन को प्रेषित करते हुए क्षेत्र को प्राधिकरण अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का भी अनुरोध किया जाये।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून की अधिसूचना संख्या–1813/V–2/ 2017– 05(आ0)/ 2017 दिनांक 13 नवम्बर, 2017 तथा अधिसूचना संख्या–2095/V–2/2017 –05(आ0)/ 2017 दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया था जिसमें प्रश्नगत क्षेत्र प्राधिकरण की सीमान्तर्गत था। शासनादेश संख्या–626/V–2/21–5 (आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 17.03.2021 में वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर, नये सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया यद्यपि शासनादेश संख्या–1078 दिनांक 15 जून, 2021 के द्वारा नये

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को स्वैच्छिक किया गया है। उक्तानुसार वर्तमान में कैंची धाम का क्षेत्र, प्राधिकरण के नियंत्रण में नही है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि भीमताल क्षेत्र में खुटानी–चांफी–पदमपुरी मोटर मार्ग पर चांफी एवं उसके आस–पास के क्षेत्र (मुख्य मोटर मार्ग के 200 मी0 की परिधि) में अनियोजित विकास हो रहा है जिसको नियंत्रित किये जाने हेतु उक्त क्षेत्र को प्राधिकरण सीमान्तर्गत सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

अतः प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में अनुरोध है कि कृपया कैंची धाम, नैनीताल में अनियोजित विकास को नियंत्रित किये जाने हेतु कैंची धाम के 02 किमी0 की परिधि के क्षेत्र एवं भीमताल क्षेत्र में खुटानी–चांफी–पदमपुरी मोटर मार्ग पर चांफी एवं उसके आस–पास के मुख्य मोटर मार्ग के 200 मी0 की परिधि के क्षेत्र को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित करने हेतु शासनादेश संख्या–626/V–2/21–5 (आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 17.03.2021 में संशोधन करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वन्दना)
जिलाधिकारी, नैनीताल/
उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(वन्दना)
जिलाधिकारी, नैनीताल/
उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

आज दिनांक 27 जून, 2024 (दिन बृहस्पतिवार) को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 22वीं बोर्ड बैठक सर्किट हाउस, काठगोदाम, जिला–नैनीताल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1. श्री दीपक रावत, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल – अध्यक्ष
2. श्रीमती वन्दना, जिलाधिकारी, नैनीताल / उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल। – उपाध्यक्ष
3. श्री अभिषेक रूहेला, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर (सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि। – सदस्य (पदेन)
4. श्री विशाल मिश्रा, नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम। – सदस्य (पदेन)
5. श्रीमती शालू थिन्ड, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून (ऑनलाईन माध्यम से उपस्थित) – सदस्य (पदेन)
6. श्री दिनेश कुमार राणा, मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल / मुख्य वित्त अधिकारी, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल (सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि)। – सदस्य (पदेन)
7. श्री ए0के0कटारिया, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम (प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन एवं निर्माण निगम, देहरादून के प्रतिनिधि) – सदस्य (पदेन)

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति–

1. श्री विजयनाथ शुक्ल, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
2. श्री रघुवीर लाल भारती, अवर अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
3. श्री अंकित सिंह बोरा, अपर सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।
4. श्री हेम चन्द्र उपाध्याय, अवर अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

———

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। बैठक का कोरम पूर्ण होने पर अध्यक्ष की अनुमति से 22वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं का क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

मद संख्या– 22.01

21वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 21वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.01.2024 की कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या–2171 / नैजिविप्रा / एक–2023 / 21वींबो0बै0 / 2023–24 दिनांक 14.02.2024 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुयी है। अतः 21वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। **बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से 21वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।**

मद संख्या– 22.02

21वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 21वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

कार्यवाही:– ***बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से 21वीं बोर्ड बैठक के अनुपालन आख्या की पुष्टि की गयी।***

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

मद संख्या–22.23 (3)

कैंची धाम में अनियोजित हो रहे निर्माण कार्यों को नियन्त्रित किये जाने हेतु कैंची धाम के 02 कि0मी0 की परिधि में प्राधिकरण के मानकों के अन्तर्गत प्राधिकरण के माध्यम से निर्माण कार्य में अनुमति की अनिवार्यता।

कार्यवाही:– बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया और यह पाया गया कि दिन–प्रतिदिन श्रद्धालुओं में बढोतरी हो रही है एवम् उसी अनुपात में वहां होटल/व्यवसाय प्रतिष्ठानों का निर्माण एवम् संचालन अत्यधिक बढ़ा है। कैंची महोत्सव के दौरान यह पाया गया कि निर्माण कार्य नियोजित रूप से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अनियोजित विकास होने के साथ–साथ श्रद्धालुओं को असुविधा एवम् अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा एवम् शिप्रा नदी में प्रदूषण (प्रदूषण मानकों का अनुपालन न होने के कारण) की पूर्ण सम्भावनायें है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कैंची धाम में भविष्य को देखते हुए नियोजित विकास नितान्त आवश्यक है। अतः कैंची धाम में वर्तमान में हो रहे/हो चुके निर्माणों का सत्यापन करा लिया जाये। भविष्य में प्राधिकरण के मानकों की पूर्ति अर्थात् कोई भी व्यावसायिक/गैर–व्यावसायिक निर्माण कार्य न किये जाये। सत्यापन रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये। कैंची धाम के नियोजित विकास के लिए कैंची धाम के 02 कि0मी0 की परिधि में प्राधिकरण की अनुमति से निर्माण कार्य के बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को शासन को प्रेषित करते हुए क्षेत्र को प्राधिकरण अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का भी अनुरोध किया जाये।

मद संख्या–22.23 (4)

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा स्वीकृत किये गये ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक भवन मानचित्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:– बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत किये गये समस्त ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक भवन मानचित्रों के सापेक्ष स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्राविधान किया गया है अथवा नहीं, की संयुक्त टीम बनाते हुये जाँच किये जाने एवं जिन भवन स्वामियों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्राविधान नहीं किया गया है, को 03 माह के अन्तर्गत उक्त का प्राविधान अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–22.23 (5)

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 17वीं बोर्ड बैठक दिनांक के मद संख्या–17.11 के निर्णय विन्दु–4 में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:– प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श किया गया। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 17वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.09.2022 के मद संख्या–17.11 में मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांक–4236 दिनांक 13.08.2022 के द्वारा प्रस्तुत संयुक्त आख्या को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये हल्द्वानी–भीमताल मोटर मार्ग में पन्त पार्क से डांट के मध्य भू–स्खलन होने के दृष्टिगत झील के तट से 60.00 मी0 तक अस्थाई रूप से निर्माण अनुमन्य नहीं किये जाने के सम्बन्ध में जियोलॉजिकल मैपिंग होने तक स्वीकृति को प्रतिबन्धित किया गया है।

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

सर्वसम्मति से पूर्व में लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुये भीमताल में नैनीताल–हल्द्वानी मुख्य मोटर मार्ग पर पन्त पार्क से भीमताल थाने में निर्मित डांट तक के क्षेत्र के मध्य भू–स्खलन होने के दृष्टिगत झील के तट से 60.00 मी0 की परिधि में जियोलॉजिकल मैपिंग होने तक भवन मानचित्र स्वीकृति को प्रतिबन्धित किये जाने एवं अन्य क्षेत्रों में पूर्व की भांति कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में, उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल

आयुक्त / अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

Annexure - 2
360/V-2 आ0/2025

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
ई फाइल संख्या-E 75892
देहरादून : दिनांक: 04 अगस्त, 2025

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः 2095(2)/V-2/2017-05(आ0)/2017 टी.सी. दिनांकः 14.12.2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। शासनादेश संख्याः 626/V-2/21, दिनांक 17.03.2021 के द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर, नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित भू-भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. जिला-नैनीताल में खुटानी-विनायक-चांफी-धारी-धानाचूली-शहरफाटक व धानाचूली-भटेलिया तक मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी0 का हवाई क्षेत्र।
2. जिला-नैनीताल में हल्द्वानी-रामनगर मुख्य मोटर मार्ग के मध्य स्थित राजस्व ग्राम कालाढूंगी-बैलपड़ाव छोई का समस्त क्षेत्र।
3. रामनगर-मोहान एवं रामनगर-पीरूमदारा मुख्य मोटर मार्ग का समस्त क्षेत्र।
4. जिला-नैनीताल में काठगोदाम-हैड़ाखान मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी० का हवाई क्षेत्र।
5. भीमताल से लगे जन्तवाल गांव, बोहराकून एवं जंगलिया गांव का समस्त क्षेत्र।
6. कैंची धाम, नैनीताल में हो रहे निर्माण कार्यों को नियंत्रित किये जाने हेतु कैंची धाम के 02 कि०मी० की परिधि का क्षेत्र।

2- उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र यदि शासनादेश संख्याः 626 दिनांकः 17.03.2021, जिसमें मानचित्र स्वीकृति की प्रकिया स्थगित है, में सम्मिलित है तो उक्त क्षेत्रों को शासनादेश संख्याः 626 दिनांकः 17.03.2021 की परिधि से अवमुक्त किया जाता है।

3- अधिसूचना संख्याः 2095(2)/V-2/2017-05(आ0)/2017 टी.सी. दिनांकः 14.12.2017 एवं शासनादेश संख्याः 626/V-2/21, दिनांक 17.03.2021 में उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

(आर.मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव ।

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री / मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी / मा0 आवास मंत्री जी के सांज्ञानार्थ।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ।
5. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के राजकीय परिशिष्ट की 100 प्रतियां मुद्रित कराते हुए प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

सचिव

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,

नैनीताल।

Annexure- 2

कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

आयुक्त सभागार, तल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड), फोन: 05942-232800,
Website: www.ddantl.org.in
E-mail I.D.-secretaryldanainital@rediffmail.com

पत्रांक: /नैजिविप्रा/2024-25 वाद संख्या- दिनांक: /2025

श्री ....
....
....

अवगत कराना है कि आपके द्वारा स्थल कैची तहसील- कैचीधाम जिला- नैनीताल में भवाली-अल्मोडा मुख्य मार्ग के किनारे लगभग ....वर्गफीट माप में बिना उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 (संशोधन-2019) का पालन किये भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रश्नगत स्थल भविष्य में महायोजना गठन हेतु प्रस्तावित है। बिना भवन उपविधि पालन के निर्माण किये जाने से कैची क्षेत्रान्तर्गत अव्यवस्थित विकास होने से यातायात आवागमन में बाधा, जाम व अन्य समस्याऐं उत्पन्न हो रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप भवन निर्माण कार्य उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 (संशोधन-2019) में दिये गये प्राविधानों एवं रोड साईड कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार ही निर्माण कार्य करना सुनिश्चित करे, जिससे प्रश्नगत स्थल पर सुनियोजित विकास हो सके और भविष्य में क्षेत्र के विकास हेतु कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न न हो।

(विजयनाथ शुक्ल)
सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

S. no	Name	Phone no.	Address	Description	Dimensions
1	Sursingh Jalal s/o Jasosingh Jala	7011257179	Mala Niglat, Kainchi Dham	Hotel Maharaja, (G+3)floor, 15 rooms	(25×30)ft
2	Sursingh Jalal s/o Jasosingh Jalal	7011257179	Mala Niglat, Kainchi Dham	Hotel Green Valley in. & Restaurant, (G+3)floor, 22 rooms	(60×20)ft
3	Lalit Tiwari s/o Mahesh tiwari	9837676850	Mala Niglat, Kainchi Dham	Siddhi Restaurant & Guest House , (G+3)floor, 18 rooms	(30×35)ft
4	Mukesh Tiwari s/o Mahesh Tiwari	7409307979	Mala Niglat, Kainchi Dham	Baba Benison Resort & Restaurant, (G+4) floor, 24 rooms	(45×30)ft
5	Bhuvan Chandra Mishra s/o Jaydatt Mishra	9454000101	Mala Niglat, Kainchi Dham	Home Stay Kishkinda House, (G+2)floor, 12 rooms	(30×20)ft
6	Shri Puran Chandra s/o Visaram Chandra	8650208418	Mala Niglat, Kainchi Dham	Sainik Restaurant, Ground floor	(40×10)ft
7	Bindu kumar Jha / Lalit mohan Tiwari	9837676850	Mala Niglat, Kainchi Dham	Kumaon Textile Dev Corporation, (G+1) floor	(20×35)ft
8	Rajendra Tiwari s/o Biji Tiwari	7895319267	Mala Niglat, Kainchi Dham	Babaji ka Prasad & Tiwari Home Stay (G+2) floor , 12 rooms	(40×30)ft
9	Deepak Tiwari s/o Devidatt Tiwari	9536289526	Mala Niglat, Kainchi Dham	Uttarakhand Handicraft Textile Dev Corpo. and Home stay & Restaurant, (G+1)floor, 7 rooms	(20×40)ft
10	Harshit Tiwari s/o Mohan singh Tiwari	7579003935	Mala Niglat, Kainchi Dham	Fruitage centre, ground floor 3 shops	(30×10)ft
11	Harshit Tiwari s/o Mohan singh Tiwari	7579003935	Mala Niglat, Kainchi Dham	Shri Gurudev Bhojangreh & Mohan Home stay, (G+2)floor, 12 rooms	(10×30)ft & (40×20)ft

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

12	Hema Tiwari w/o Keshav Datt Tiwari	7409351357	Mala Niglat, Kainchi Dham	Laxmi Narayan Restaurant, Ground floor	(20×15)ft
13	Urvadatt Tiwari s/o Punanand Tiwari	9536460399	Mala Niglat, Kainchi Dham	Sampurnandan Home stay & Restaurant, (G+1) floor, 6 rooms	(25×12)ft
14	Vikram Tiwari s/o Punanand Tiwari	9711772981	Mala Niglat, Kainchi Dham	Bhagwati Home stay & Restaurant, (G+2) floors, 10 rooms	(35×20)ft
15	Shefali Das D/o Mukesh Das	8057326541, 9536670055	Mala Niglat, Kainchi Dham	Casa Mount Hotel, (G+2) floor , 22 rooms	(50×25)ft
16	Mohan singh s/o Aansingh	9690085411	Mala Niglat, Kainchi Dham	Manvi Home stay, (G+2)floor, 9 rooms	(45×15)ft
17	Gopal Bisht	6397517149	Mala Niglat, Kainchi Dham	Triloky Home stay, (G+2)floor, 7 rooms	(20×25)ft
18	Guru kripa Niwasiye kalyan Samiti	-	Mala Niglat, Kainchi Dham	Colony, 22 flats	(85×25)ft
19	Gopal Singh Bisht. s/o Ratan Singh Bisht	7351650425	Mala Niglat, Kainchi Dham	Atithi Restaurant & Home stay, (G+2) floor, 6 rooms	(20×25)ft
20	Dev singh s/o Lal singh	9690978081	Mala Niglat, Kainchi Dham	Krishna Lakshit Home stay, (G+2)floor, 6 rooms	(35×11)ft
21	Bheem singh s/o Lal Singh	8006094307	Mala Niglat, Kainchi Dham	Trishul Home stay, (G+2) floor, 5 rooms	(30×15)ft
22	Amrita Gupta/ Ashwin Pashari s/o Radheshyam Pashari	8777637259	Lower Side of road ,Mala Niglat, Kainchi Dham	Shri Hanuman Vatika Home stay, (G+3)floor, 23 rooms	(35×45)ft
23	Gaurav Chaudhary	8755996411	Mala Niglat, Kainchi Dham	Parking of Viom Hotel, (G+3)floor	(60×70)ft

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

24	Rohit Kanwal s/o Prem singh kanwal	7060145307	Mala Niglat, Kainchi Dham	Uttarakhand Restaurant & Cafe, (G+1)floor	(30×10)ft
25	Rahul Tiwari / Prema Tiwari/ Prasansa Tiwari / Bharti Dalakoti	8392811723	Mala Niglat, Kainchi Dham	Kainchi Divine Retreat Hotel & Restaurant, (G+3)floor ,(Under construction)	(40×35)ft
26	Deepak Tiwari	9536289526	Mala Niglat, Kainchi Dham	Hotel & Home stay, (G+3) floor, (unde construction)	(30×35)ft & (30×11)ft
27	Suraj Kumar S/0 Vijay Kumar	7252873499	Mala Niglat, Kainchi Dham	Shop	7.4 ft
28	Karan(Kanchan) Kumar	8433235217	Mala Niglat, Kainchi Dham	Home Stay 2 Room (Under Construction)	(15*25) ft
29	Shivam(Sajan) S/0 Late Lakshman Singh	7830234148	Mala Niglat, Kainchi Dham	Home Stay 9 rooms	(35*15) ft
30	Pooja Raghuvanshi w/0 Deepak Raghuvanshi	8755911111	Mala Niglat, Kainchi Dham	Hotel 15 under Construction	5500 ft2
31	Lata Kapil w/0 Ranjan Kapil	9720871885	Mala Niglat, Kainchi Dham	Hotel 18 (under Construction)	6300 ft2
32	Suchita Gupta w/0 Vijay Gupta	9415079865	Mala Niglat, Kainchi Dham	Hotel 20 (under Construction)	(60 *40) ft
33	Deepak Tiwari S/0 Devi Datt Tiwari	9536289526	Mala Niglat, Kainchi Dham	Hotel 12 Room and Restaurant	(60 *50) ft
34	Shubhankar Bhist s/0 Harendra Singh Bisht	7060149009	Mala Niglat, Kainchi Dham	Sweet Shop and Restaurant Room 3 and Dormatory	50'60 ft
35	Sumit Hardesh/ Rahul Narang	8006888808	Mala Niglat, Kainchi Dham	Resturant and Home stay	(55*30)ft

/NDA/R/1111/2025

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

36	Asha Tiwari w/0 Late Lalit Tiwari	7895319267	Mala Niglat, Kainchi Dham	Shop Idle and Room 6	(50*35) ft
37	3 Brother Dinesh Tiwari, Vinod Tiwari, Chandra Shekar Tiwari S/0 Late Hera Bhallabh tiwari	8868061158	Mala Niglat, Kainchi Dham	Shop sweet, idle ,and Room 15 Home stay	(75 *45) ft
38	Chandra Shekhar Tiwari S/0 Late Hera Bhallabh Tiwari	9636897260	Mala Niglat, Kainchi Dham	Parshad Shop and 12 Room	(30 *70) ft
39	Girish Tiwari s/0 bhairav Dutt Tiwari	8006815931	Mala Niglat, Kainchi Dham	Prashad Shop	(20*40)ft
40	Girish Tiwari s/0 bhairav Dutt Tiwari	8006815931	Mala Niglat, Kainchi Dham	Home Stay 5	(70 * 40) ft
41	Girish Tiwari s/0 bhairav Dutt Tiwari	8006815931	Mala Niglat, Kainchi Dham	Prashad Dukan	(60 *40) ft
42	Girish Tiwari s/0 bhairav Dutt Tiwari		Mala Niglat, Kainchi Dham	Photo and idle shop	(70 *40) ft
43	Bhuvan Tiwari s/0 Raghuvar Dutt Tiwari	8445230124	Mala Niglat, Kainchi Dham	Juice Shop and multiple shop of idle mala Restaurant and Home stay 12	120'50 ft
44	Bhuvan Tiwari s/0 Raghuvar Dutt Tiwari	8445230124	Mala Niglat, Kainchi Dham	Gutka mala shop	(45*10) ft
45	Abhay Tiwari S/O Chandan Dutt Tiwari	7453911611	Mala Niglat, Kainchi Dham	Resturant	(65*25)ft
46	Abhay Tiwari S/O Chandan Dutt Tiwari	7453911611	Mala Niglat, Kainchi Dham	Resort and Cottage 20 room and Restaurant	23 nali
47	Lalita Tiwari w/o Rakesh Tiwari	8077661443	Hartappa Road , Kainchi Dham	Bajrang Home stay, (G+2)floor, 12 rooms	(40×35)ft

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

48	Jagdish Chandra Tiwari s/o Late. Shivdatt Tiwari	9411525987	Hartappa Road , Kainchi Dham	Shiva Homestay, (G+1) floor, 12 rooms	(50×25)ft
49	B.C Tiwari s/o late. SD Tiwari	9410119892	Hartappa Road , Kainchi Dham	Kainchi Boutique Home stay, (G+2) floor, 25 rooms	(85×15)ft
50	Naresh Tiwari s/o Naveen Chandra Tiwari	9068780662	Hartappa Road , Kainchi Dham	Chandra Home stay & Cafe, (G+1)floor, 5 rooms	(10×30)ft & (10×5)ft
51	Vinay Singh Rathore s/o Amar singh Rathore	8954555843	Hartappa Road , Kainchi Dham	Amar Valley Resort (Hotel & Restaurant), (G+3)floor, 16 rooms	(320×100)ft & (50×30)ft
52	Umesh Singh Kirola s/o Mohan Singh Kirola	8006824113	Hartappa Road , Kainchi Dham	Kirola Restaurant & Home stay, (G+2)floor, 8 rooms	(50×15)ft

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

Annexure No-4

श्री कैंचीधाम क्षेत्र में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा अनधिकृत निर्माणों की गयी चालानी कार्यवाही की सूची।

SR	Case Number	Creation Date	Defendent	Usage	Status
1	UCMS/NDA/L/0002/2026	2026-01-06	श्री गिरीश तिवारी पुत्र श्री भैरव दत्त तिवारी, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8006815931	Plotting	Hearing
2	UCMS/NDA/R/1117/2025	2025-11-22	बिन्दु शर्मा पुत्री श्री विनोद कुमार, निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9193959616	Single Dwelling Unit	Hearing
3	UCMS/NDA/R/1116/2025	2025-11-22	बिन्दु शर्मा पुत्री श्री विनोद कुमार, तल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9193959616	Single Dwelling Unit	Hearing
4	UCMS/NDA/R/1115/2025	2025-11-22	श्री योगेश किरौला पुत्र श्री महेन्द्र सिंह किरौला, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8859795674	Single Dwelling Unit	Hearing
5	UCMS/NDA/R/1114/2025	2025-11-22	श्री अजय सिंह मेहरा पुत्र श्री सगम सिंह मेहरा, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9690090320	Single Dwelling Unit	Hearing
6	UCMS/NDA/R/1113/2025	2025-11-22	श्री नवीन आर्या (कैंचीधाम होम स्टे) मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9012967323	Single Dwelling Unit	Hearing
7	UCMS/NDA/R/1112/2025	2025-11-21	श्री दीवान बिष्ट पुत्र श्री कुशाल सिंह बिष्ट, तल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9756929994	Single Dwelling Unit	Hearing
8	UCMS/NDA/R/1111/2025	2025-11-21	श्री खड़क सिंह, तल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9555269400	Single Dwelling Unit	Hearing
9	UCMS/NDA/R/1110/2025	2025-11-21	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री कुंवर राम, तल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9720299614	Single Dwelling Unit	Hearing
10	UCMS/NDA/C/0492/2025	2025-11-21	श्री उमेश टम्टा पुत्र श्री गंगा राम, तल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7409483650	Plotting	Hearing

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

11	UCMS/NDA/R/1107/2025	2025-11-21	श्री बृजेश बिष्ट, तल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8588822474	Single Dwelling Unit	Hearing
12	UCMS/NDA/R/1106/2025	2025-11-21	श्री यतेन्द्र बडोनी पुत्र श्री एस0 एन0 बडौनी, हरतपा रोड, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9897996013	Single Dwelling Unit	Hearing
13	UCMS/NDA/R/1105/2025	2025-11-21	श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल, निगलाट, श्री कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8057595463	Single Dwelling Unit	Hearing
14	UCMS/NDA/R/1004/2025	2025-10-04	श्री गौरव चौधरी, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8755996411	Single Dwelling Unit	Hearing
15	UCMS/NDA/R/1003/2025	2025-10-04	श्री धनी राम पुत्र स्व0 श्री नर राम, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7818893434	Multiple Dwelling Unit	Hearing
16	UCMS/NDA/R/1002/2025	2025-10-04	श्री चन्दर कान्ता पुत्र श्री जज पाल भिड्डा, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9627549051	Single Dwelling Unit	Hearing
17	UCMS/NDA/R/1001/2025	2025-10-04	श्री गोपाल सिंह मेहरा पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह मेहरा, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9012967449	Multiple Dwelling Unit	Hearing
18	UCMS/NDA/R/1000/2025	2025-10-04	श्री रमन शेट्टी, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9810918922	Multiple Dwelling Unit	Hearing
19	UCMS/NDA/C/0390/2025	2025-10-04	श्री अमित ठाकुर पुत्र श्री फुलेश्वर ठाकुर, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9694990120	Shops	Hearing
20	UCMS/NDA/R/0999/2025	2025-10-04	श्री त्रिलोक सिंह मेहरा पुत्र श्री ठाकुर सिंह मेहरा, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7409459852	Multiple Dwelling Unit	Hearing
21	UCMS/NDA/R/0971/2025	2025-09-27	श्री भीम सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8006094307	Single Dwelling Unit	Hearing

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

22	UCMS/NDA/C/0361/2025	2025-09-27	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री आन सिंह, नि[illegible]ल्ला, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9690085411	Commercial	Hearing
23	UCMS/NDA/C/0360/2025	2025-09-27	श्री त्रिलोक सिंह मेहरा पुत्र श्री ठाकुर सिंह मेहरा, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7409459852	Shops	Hearing
24	UCMS/NDA/R/0970/2025	2025-09-27	श्री ललित तिवारी पुत्र श्री महेश चन्द्र तिवारी, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9837676850	Single Dwelling Unit	Hearing
25	UCMS/NDA/C/0359/2025	2025-09-27	श्री देव सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9690978081	Commercial	Hearing
26	UCMS/NDA/C/0358/2025	2025-09-27	श्री विक्रम तिवारी पुत्र श्री पूर्णानन्द तिवारी, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9711772981	Commercial	Hearing
27	UCMS/NDA/C/0357/2025	2025-09-27	श्रीमती शिफाली दास पत्नी श्री मुकेश दास, मल्ला निगलाट,, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8057326541	Commercial	Hearing
28	UCMS/NDA/C/0356/2025	2025-09-27	श्री गोपाल सिंह बिष्ट पुत्र श्री रतन सिंह बिष्ट, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7351650425	Commercial	Hearing
29	UCMS/NDA/C/0355/2025	2025-09-27	श्री गोपाल बिष्ट, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9397517149	Commercial	Hearing
30	UCMS/NDA/C/0354/2025	2025-09-27	श्री भुवन चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री जय दत्त मिश्रा, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9454000101	Commercial	Hearing
31	UCMS/NDA/C/0353/2025	2025-09-27	श्री राहुल तिवारी, प्रेमा तिवारी, प्रशन्ना तिवारी एवं श्रीमती भारती डालाकोटी, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8392811723	Commercial	Hearing
32	UCMS/NDA/C/0352/2025	2025-09-26	श्रीमती पूजा रघुवंशी पत्नी श्री दीपक रघुवंशी, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8755911111	Commercial	Hearing

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

33	UCMS/NDA/R/0969/2025	2025-09-26	श्री उमेश सिंह किरौला पुत्र श्री मोहन सिंह किरौला, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8006824113	Single Dwelling Unit	Hearing
34	UCMS/NDA/C/0351/2025	2025-09-26	श्री शिवम सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7830234148	Commercial	Hearing
35	UCMS/NDA/R/0968/2025	2025-09-26	श्री करण कुमार/श्री कंचन कुमार, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8433235217	Single Dwelling Unit	Hearing
36	UCMS/NDA/C/0350/2025	2025-09-26	श्री सूरज कुमार पुत्र श्री विजय कुमार, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7252873499	Shops	Hearing
37	UCMS/NDA/C/0344/2025	2025-09-23	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 श्री शिव दत्त तिवारी, निगलाट (हरत्तपा रोड) कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9411525987	Commercial	Hearing
38	UCMS/NDA/C/0343/2025	2025-09-23	श्री गौरव चौहान पुत्र श्री चन्दन सिंह चौहान, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7838343293	Shops	Hearing
39	UCMS/NDA/C/0333/2025	2025-09-20	श्री रोहित सिंह कनवाल पुत्र श्री प्रेम सिंह कनवाल, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7060145307	Commercial	Hearing
40	UCMS/NDA/R/0955/2025	2025-09-20	श्री विनय सिंह राठोर पुत्र श्री अमर सिंह राठोर, हरत्तपा रोड, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8954555843	Single Dwelling Unit	Hearing
41	UCMS/NDA/C/0332/2025	2025-09-20	श्री अभय तिवारी पुत्र श्री चन्दन दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7453911611	Restaurant	Hearing
42	UCMS/NDA/C/0331/2025	2025-09-20	श्री हर्षित तिवारी पुत्र श्री मोहन तिवारी, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7579003935	Shops	Hearing
43	UCMS/NDA/C/0330/2025	2025-09-20	श्री राहुल नारंग/सुमित हृदयेश, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8006888808	Restaurant	Hearing

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

44	UCMS/NDA/R/0954/2025	2025-09-20	श्री जीव[illegible] मेहरा पुत्र श्री भवान सिंह मेहरा, निगलाट मल्ला, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8076633071	Single Dwelling Unit	Hearing
45	UCMS/NDA/R/0953/2025	2025-09-20	श्री कुंवर सिंह देव पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8077879590	Single Dwelling Unit	Hearing
46	UCMS/NDA/R/0952/2025	2025-09-20	श्री हरीश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री बाला दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9548327566	Single Dwelling Unit	Hearing
47	UCMS/NDA/R/0951/2025	2025-09-20	श्री त्रिलोक सिंह मेहरा पुत्र श्री ठाकुर सिंह मेहरा, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7409759852	Single Dwelling Unit	Hearing
48	UCMS/NDA/C/0329/2025	2025-09-20	श्री त्रिलोक सिंह मेहरा पुत्र श्री ठाकुर सिंह मेहरा, मल्ला निगलाट, कैचीधाम (श्री राम कॉटेज) जिला- नैनीताल। मो0- 7409459852	Commercial	Hearing
49	UCMS/NDA/R/0950/2025	2025-09-20	श्री महेश चन्द्र पन्त पुत्र श्री रेवाधर पन्त, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9456117294	Single Dwelling Unit	Hearing
50	UCMS/NDA/C/0328/2025	2025-09-19	श्री घनश्याम सिंह मेहरा पुत्र श्री गोधन सिंह मेहरा, मल्ला निगलाट (नान्तीन बाबा होम स्टे) कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9411198021	Commercial	Hearing
51	UCMS/NDA/C/0327/2025	2025-09-19	श्रीमती ललिता तिवारी पत्नी श्री राकेश तिवारी, हरत्तपा रोड, निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8077661443	Commercial	Hearing
52	UCMS/NDA/R/0949/2025	2025-09-19	श्री नरेश तिवारी पुत्र श्री नवीन चन्द्र तिवारी, हरत्तपा रोड, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9068780662	Single Dwelling Unit	Hearing
53	UCMS/NDA/C/0326/2025	2025-09-19	श्री बी0 सी0 तिवारी पुत्र स्व0 श्री एम0 डी0 तिवारी, निगलाट	Commercial	Hearing

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

54	UCMS/NDA/C/0325/2025	2025-09-19	श्री उर्वा दत्त तिवारी पुत्र श्री पूर्णानन्द तिवारी, निगलाट मल्ला, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9636460399	Commercial	Hearing
55	UCMS/NDA/C/0324/2025	2025-09-19	श्री दीपक तिवारी पुत्र श्री देवी दत्त तिवारी, निगलाट मल्ला, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9536289526	Commercial	Hearing
56	UCMS/NDA/C/0323/2025	2025-09-19	श्री गिरीश तिवारी पुत्र श्री भैरव दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8006815931	Shops	Hearing
57	UCMS/NDA/C/0322/2025	2025-09-19	श्री भुवन तिवारी पुत्र श्री रघुवर दत्त तिवारी, निगलाट मल्ला, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8445230124	Restaurant	Hearing
58	UCMS/NDA/C/0321/2025	2025-09-19	श्री गिरीश तिवारी पुत्र श्री भैरव दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8006815931	Shops	Hearing
59	UCMS/NDA/C/0320/2025	2025-09-19	श्री गिरीश तिवारी पुत्र श्री भैरव दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8006815931	Shops	Hearing
60	UCMS/NDA/C/0319/2025	2025-09-19	श्री भुवन तिवारी पुत्र श्री रघुवर दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8445230124	Restaurant	Hearing
61	UCMS/NDA/C/0318/2025	2025-09-18	श्रीमती सुचिता गुप्ता पत्नी श्री विजय गुप्ता, निगलाट मल्ला, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9415079865	Commercial	Hearing
62	UCMS/NDA/C/0317/2025	2025-09-18	श्रीमती लता कपिल पत्नी श्री रंजन कपिल, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9720871885	Commercial	Hearing
63	UCMS/NDA/C/0316/2025	2025-09-18	श्री दीपक तिवारी पुत्र श्री देवी दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9536289526	Commercial	Hearing

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

64	UCMS/NDA/C/0315/2025	2025-09-18	श्री चन्द्रशेखर तिवारी पुत्र श्री हीरा बल्लभ तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9636897260	Commercial	Hearing
65	UCMS/NDA/C/0314/2025	2025-09-18	श्री दीपक तिवारी पुत्र श्री देवी दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 9536289526	Commercial	Hearing
66	UCMS/NDA/C/0313/2025	2025-09-18	श्री हर्षित तिवारी पुत्र श्री मोहन तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम (श्री गुरूदेव भोजनालय एण्ड मोहन होम स्टे) जिला- नैनीताल। मो0- 7579003935	Commercial	Hearing
67	UCMS/NDA/C/0312/2025	2025-09-18	श्रीमती हेमा तिवारी पत्नी श्री केशव दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7409351357	Restaurant	Hearing
68	UCMS/NDA/C/0311/2025	2025-09-18	श्रीमती अमिता गुप्ता/अवनीश पंशारी पुत्र श्री राधेश्याम पंशारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम (श्री हनुमान वाटिका होम स्टे) जिला- नैनीताल। मो0- 8777637259	Commercial	Hearing
69	UCMS/NDA/C/0310/2025	2025-09-18	श्री राजेन्द्र तिवारी पुत्र श्री विजि तिवारी, निगलाट मल्ला, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7895319267	Commercial	Hearing
70	UCMS/NDA/C/0309/2025	2025-09-18	श्री सुभांकर बिष्ट पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7060149009	Shops	Hearing
71	UCMS/NDA/C/0308/2025	2025-09-18	श्रीमती आशा तिवारी पत्नी स्व0 श्री ललित तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 7895319267	Shops	Hearing
72	UCMS/NDA/C/0307/2025	2025-09-18	श्री दिनेश तिवारी, श्री विनोद तिवारी एवं श्री चन्द्रशेखर तिवारी पुत्रगण स्व0 श्री हेम बल्लभ तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8868061158	Shops	Hearing

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

73	UCMS/NDA/L/0026/2025	2025-09-18	श्री गिरीश तिवारी पुत्रड श्री भैरव दत्त तिवारी, निगलाट मल्ला, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0-8006815931	Commercial	Hearing
74	UCMS/NDA/C/0306/2025	2025-09-18	श्री अभय तिवारी पुत्र श्री चन्दन दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0-7453911611	Restaurant	Hearing
75	UCMS/NDA/R/0942/2025	2025-09-12	श्री हिमांशु कनवाल पुत्र श्री प्रेम सिंह कनवाल, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0-7409642088	Single Dwelling Unit	Hearing
76	UCMS/NDA/C/0304/2025	2025-09-12	श्री सूर सिंह पुत्र श्री जशो सिंह, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो' 7011257179	Hotel	Hearing
77	UCMS/NDA/C/0303/2025	2025-09-12	श्री सूर सिंह जलाल पुत्र श्री जशो सिंह जलाल, मल्ला निगलाट, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0-7011257179	Hotel	Hearing
78	UCMS/NDA/C/0302/2025	2025-09-12	श्री हितेश कुमार पुत्र श्री प्रेम प्रकाश, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0- 7668960564	Restaurant	Hearing
79	UCMS/NDA/C/0301/2025	2025-09-12	श्री गिरीश चन्द्र आर्या पुत्र स्व0 श्री किशन आर्या, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0-9928592387	Shops	Hearing
80	UCMS/NDA/C/0300/2025	2025-09-12	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री देव सिंह, निगलाट मल्ला (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0- 7819041889	Commercial	Hearing
81	UCMS/NDA/C/0299/2025	2025-09-12	श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सिंह, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0- 9759415587	Commercial	Hearing
82	UCMS/NDA/C/0297/2025	2025-09-12	श्री बिंदु कुमार झा व श्री ललित मोहन तिवारी पुत्र श्री महेश तिवारी, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0- 9837676850	Shops	Hearing

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

83	UCMS/NDA/C/0296/2025	2025-09-12	श्री पूरन चन्द्र पुत्र श्री विशा राम चन्द्र, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0- 8650208418	Shops	Hearing
84	UCMS/NDA/C/0295/2025	2025-09-12	श्री भुवन चन्द्र तिवारी पुत्र श्री रघुवर दत्त तिवारी, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0- 8445230124	Restaurant	Hearing
85	UCMS/NDA/C/0294/2025	2025-09-12	श्री मुकेश तिवारी पुत्र श्री महेश तिवारी, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0- 7409307979	Commercial	Hearing
86	UCMS/NDA/C/0293/2025	2025-09-12	श्री जीवन खनायत पुत्र श्री प्रीतम खनायत, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0- 7668497586	Commercial	Hearing
87	UCMS/NDA/C/0292/2025	2025-09-12	श्री ललित तिवारी पुत्र श्री महेश तिवारी, मल्ला निगलाट तहसील- कैचीधाम (सिद्दि रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस) जिला- नैनीताल। मो0- 9837676850	Restaurant	Hearing
88	UCMS/NDA/R/0931/2025	2025-09-08	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल।	Single Dwelling Unit	Hearing
89	UCMS/NDA/R/0930/2025	2025-09-08	श्री एस0 के0 मेहता/हितवद्व व्यक्ति, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0- 8979589100	Single Dwelling Unit	Hearing
90	UCMS/NDA/C/0286/2025	2025-09-08	श्री नीरज मेहरा पुत्र स्व0 श्री भवान सिंह मेहरा, मल्ला निगलाट (कैचीधाम) जिला- नैनीताल। मो0- 9927678996	Commercial	Hearing
91	UCMS/NDA/L/0002/2026	06-01-2026	श्री गिरीश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री भैरव दत्त तिवारी, कैचीधाम जिला- नैनीताल। मो0- 8006815931	Commercial	Hearing

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

Annexure-5

प्रेषक,

सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

सेवा में,

सचिव,
आवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

पत्रांकः 2111 /नैजिविप्रा/2025–26 दिनांकः 19 फरवरी, 2026

विषयः उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून की अधिसूचना संख्या–360/V–2–आ0/2025 दिनांक 04 अगस्त, 2025 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून की अधिसूचना संख्या–360/V–2–आ0/2025 दिनांक 04 अगस्त, 2025 प्रख्यापित की गयी है। प्रख्यापित अधिसूचना में शासना की अधिसूचना संख्या–2095(2)/V–2/2017–05(आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है तथा शासनादेश संख्या–626/V–2/2021 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर, नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है, में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम,1973 की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

1. जिला–नैनीताल में खुटानी–विनायक–चांफी–धारी–धानाचूली–शहरफाटक व धानाचूली–भटेलिया तक मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी0 का हवाई क्षेत्र।
2. जिला–नैनीताल में हल्द्वानी–रामनगर मुख्य मोटर मार्ग के मध्य स्थित राजस्व ग्राम कालाढूंगी–बैलपड़ाव–छोई का समस्त क्षेत्र।
3. रामनगर–मोहान एवं रामनगर–पीरूमदारा मुख्य मोटर मार्ग का समस्त क्षेत्र।
4. जिला–नैनीताल में काठगोदाम–हैड़ाखान मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी0 का हवाई क्षेत्र।
5. भीमताल से लगे जन्तवाल गांव, बोहराकून एवं जंगलिया गांव का समस्त क्षेत्र।
6. कैंची धाम, नैनीताल में हो रहे निर्माण कार्यों को नियंत्रित किये जाने हेतु कैंची धाम के 02 कि0मी0 की परिधि का क्षेत्र।

नये सम्मिलित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां अधिसूचना जारी होने के पूर्व से गतिमान होने तथा विद्यमान भवनों के अग्रेत्तर तलों में निर्माण की स्वीकृति/प्रशमन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर शमन शुल्कों की गणना के सम्बन्ध में प्रकरण को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 24वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.01.2026 के मद संख्या–24.07 (छायाप्रति संलग्न) में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

(1) प्राधिकरण के नये सम्मिलित क्षेत्रों में जिन व्यवसायिक भवनों का मानचित्र किसी भी विभाग से स्वीकृत नही है और उक्त भवन प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियमन के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल, एफ0ए0आर0, तल एवं भवन की ऊंचाई के मानक पूरें हैं तो उन भवनों में शासनादेश लागू होने से पूर्व निर्मित निर्माण को शमन शुल्क की छूट हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाए।

Digitally signed by VIJAY NATH SHUKLA
Date:19-02-2026 18.05.04

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

(2) ऐसे व्यवसायिक भवन जो प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित होने से पूर्व निर्मित हैं तथा वर्तमान में आंशिक निर्माण किया जा रहा है, के सम्बन्ध में नये निर्माण पर ही शमन शुल्क आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

(3) शासन को प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त होने एवं शासनादेश लागू होने की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत यदि आवेदक द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु मानचित्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसका नये भवन मनचित्र प्रस्ताव के अनुसार निस्तारण कर लिया जाए।

(4) नैनीताल–ज्योलीकोट–काठगोदाम क्षेत्र एवं तल्ला–रामगढ़ से नथुवाखान मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी0 हवाई दूरी के क्षेत्र को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन से संदर्भित किया जाए।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 24वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में जनहित के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून की अधिसूचना संख्या–360 / V–2–आ0 / 2025 दिनांक 04 अगस्त, 2025 के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर शासन स्तर से दिशा–निर्देश हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है:–

1. प्राधिकरण के नये सम्मिलित क्षेत्रों में जिन व्यवसायिक भवनों का मानचित्र किसी भी विभाग से स्वीकृत नही है और उक्त भवन प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियमन के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल, एफ0ए0आर0, तल एवं भवन की ऊंचाई के मानक पूरें हैं तो उन भवनों में शासनादेश लागू होने से पूर्व निर्मित निर्माण को शमन शुल्क की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
2. ऐसे व्यवसायिक भवन जो प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित होने से पूर्व निर्मित हैं तथा वर्तमान में आंशिक निर्माण किया जा रहा है, के सम्बन्ध में नये निर्माण पर ही शमन शुल्क आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।
3. शासन को प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त होने एवं शासनादेश लागू होने की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत यदि आवेदक द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु मानचित्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसका नये भवन मनचित्र प्रस्ताव के अनुसार निस्तारण के सम्बन्ध में।
4. नैनीताल–ज्योलीकोट–काठगोदाम क्षेत्र एवं तल्ला–रामगढ़ से नथुवाखान मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी0 हवाई दूरी के क्षेत्र को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित किये जाने किये जाने के सम्बन्ध में।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त संदर्भित बिन्दुओं पर शासन स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजयनाथ शुक्ल)
सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी, नैनीताल / उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(विजयनाथ शुक्ल)
सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

Digitally signed by Vijay Nath Shukla
Date: 2026.02.19 18.05.04 +05:30
Reason: eASE App document signing
Location: Nainital

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

आज दिनांक 08 जनवरी, 2026 (दिन बृहस्पतिवार) को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 24वीं बोर्ड बैठक सर्किट हाउस, काठगोदाम, जिला–नैनीताल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1. श्री दीपक रावत, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल – अध्यक्ष
2. श्री ललित मोहन रयाल, जिलाधिकारी, नैनीताल / उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल। – उपाध्यक्ष
3. श्री डी0के0 सिंह, संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून (सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि)(ऑनलाईन माध्यम से उपस्थित) – सदस्य (पदेन)
4. श्री गणेश भट्ट, लेखाधिकारी, नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम (नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम के प्रतिनिधि)। – सदस्य (पदेन)
5. श्री रघुवीर लाल भारती, अवर अभियन्ता (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि)। – सदस्य (पदेन)
6. सुश्री कमलेश भण्डारी, मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल (सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि)। – सदस्य (पदेन)
7. श्री एम0के0 करारा, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल (प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन एवं निर्माण निगम, देहरादून के प्रतिनिधि) – सदस्य (पदेन)
8. श्री धीरज पाण्डे, पार्षद, नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम, जनपद–नैनीताल – सदस्य (निर्वाचित)
9. श्री रवि जोशी, पार्षद, नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम, जनपद–नैनीताल – सदस्य (निर्वाचित)
10. श्री मुकेश जोशी, सभासद, नगर पालिका परिषद्, नैनीताल। – सदस्य (निर्वाचित)

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति–

1. श्री विजयनाथ शुक्ल, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
2. श्री ऋचांशु शर्मा, मुख्य वित्त अधिकारी, जि0स्त0वि0प्रा0, नैनीताल।
3. श्री सुधांशु सिंह, सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0, क्षे0का0, हल्द्वानी।
4. श्री शिवम् धीमान, सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0, नैनीताल।
5. श्री अभिषेक कुमार, सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0, नैनीताल।

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। का कोरम पूर्ण होने पर अध्यक्ष की अनुमति से 24वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

मद संख्या– 24.01

23वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 23वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.04. कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या–306 / नैजिविप्रा / एक–2025 / 23वींबो0बै0 / 2025–2 23.05.2025 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुयी है। अतः 23वीं बोर्ड बैठक की क पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा स 23वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

445 मीटर दूरी उपरान्त स्थल प्रदर्शित है। वर्तमान में प्रस्तुत वास्तविक दूरी व स्थल निरीक्षण के आधार पर प्रश्नगत स्थल जी0एस0आई0 के जोन–2 के अन्तर्गत है।

नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जी0एस0आई0 के निर्धारित जोन–2 में निर्माण की अनुमन्यता नही होने के दृष्टिगत विपक्षीगण द्वारा स्थल पर किये गये भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल का निर्माण शमनीय नही होने से प्राधिकरण कार्यालय के पत्र संख्या– 922 वाद संख्या–10/13 वर्ष 2017–18 दिनांक 20.09.2017 द्वारा प्रश्नगत भवन के ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिये गये। पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा मा0 आयुक्त न्यायालय, नैनीताल में अपील संख्या–11/17–18/176/20–21 कम्प्यूटर संख्या–सी1044806698722 दायर की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.12.2024 में अपील को अस्वीकार करते हुये कार्यालय, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल के पत्र संख्या–922 वाद संख्या–10/13 वर्ष 2017–18 दिनांक 20.09.2017 में पारित ध्वस्तीकरण की पुष्टि करते हुये एवं पत्रावली अवर न्यायालय को वापस प्रेषित की गयी। तत्क्रम में प्राधिकरण कार्यालय के पत्र संख्या–2329 दिनांक 03.01.2025 द्वारा विपक्षीगण को स्थल पर चालानशुदा निर्माण को स्वयं ध्वस्त करने हेतु सूचित किया गया।

चूंकि प्रश्नगत निर्माण जी0एस0आई0 के जोन–2 के अन्तर्गत अवस्थित है, जी0एस0आई0 के जोन–2 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमन्यता नहीं है जिस कारण विपक्षीगण द्वारा स्थल पर भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में किया गया निर्माण शमनीय नही है, अतः प्राधिकरण की 23वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन प्रकरण पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:– ***बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से प्रस्तावित निर्माण स्थल जी0एस0आई0 के जोन–2 में अवस्थित होने के दृष्टिगत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।***

मद संख्या– 24.07

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून की अधिसूचना संख्या–360/V–2–आ0/2025 दिनांक 04 अगस्त, 2025 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून की अधिसूचना संख्या–360/V–2–आ0/2025 दिनांक 04 अगस्त, 2025 प्रख्यापित की गयी है। प्रख्यापित अधिसूचना में शासना की अधिसूचना संख्या–2095(2)/V–2/2017–05(आ0)/ 2017 टी0सी0 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है तथा शासनादेश संख्या–626/V–2/2021 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर, नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है, में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम,1973 की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

1. जिला–नैनीताल में खुटानी–विनायक–चांफी–धारी–धानाचूली–शहरफाटक व धानाचूली–भटेलिया तक मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी0 का हवाई क्षेत्र।
2. जिला–नैनीताल में हल्द्वानी–रामनगर मुख्य मोटर मार्ग के मध्य स्थित राजस्व ग्राम कालाढूंगी–बैलपड़ाव–छोई का समस्त क्षेत्र।
3. रामनगर–मोहान एवं रामनगर–पीरूमदारा मुख्य मोटर मार्ग का समस्त क्षेत्र।
4. जिला–नैनीताल में काठगोदाम–हैड़ाखान मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी0 का हवाई क्षेत्र।
5. भीमताल से लगे जन्तवाल गांव, बोहराकून एवं जंगलिया गांव का समस्त क्षेत्र।

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

6. कैंची धाम, नैनीताल में हो रहे निर्माण कार्यों को नियंत्रित किये जाने हेतु कैंची धाम के 02 कि0मी0 की परिधि का क्षेत्र।

2– उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र यदि शासनादेश संख्या–626 दिनांक 17.03.201 जिसमें मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया स्थगित है, में सम्मिलित है तो उक्त क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–626 दिनांक 17.03.2021 की परिधि से अवमुक्त किया जाता है।

3– अधिसूचना संख्या–2095(2)/V–2/2017–05(आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 14.12.2027 एवं 626/V–2/2021 दिनांक 17.03.2021 में उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त अन्य प्रावधान यथावत् लागू होंगे। उक्त अधिसूचना के अनुसार उल्लिखित क्षेत्रों में भी समस्त प्रकार के भवन निर्माण की स्वीकृति जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल से प्राप्त की जानी आवश्यक है।

चूंकि नये सम्मिलित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां अधिसूचना जारी होने के पूर्व से गतिमान हैं तथा विद्यमान भवनों के अग्रेत्तर तलों में निर्माण की स्वीकृति/प्रशमन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर शमन शुल्कों की गणना समस्त तलों के आधार पर होगी, अतः जनसामान्य की सुविधा के दृष्टिगत गतिमान निर्माणों की

1. नये सम्मिलित क्षेत्रों में जिन आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति प्राधिकरण से प्राप्त नहीं की गयी है तथा उनमें निर्माण कार्य गतिमान है, के शमन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वर्तमान में निर्माण किये जा रहे तलों पर ही शमन शुल्क आरोपित किया जाना एवं पूर्व से विद्यमान तलों को शमन की परिधि से बाहर रख जाने के सम्बन्ध में।
2. व्यवसायिक निर्माणों जिनमें स्वीकृति प्राप्त नहीं है, के समस्त निर्माण पर शमन शुल्क आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

<u>कार्यवाही:–</u> ***बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–***

(1) प्राधिकरण के नये सम्मिलित क्षेत्रों में जिन व्यवसायिक भवनों का मानचित्र किसी भी विभाग से स्वीकृत नही है और उक्त भवन प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियमन के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल, एफ0ए0आर0, तल एवं भवन की ऊंचाई के मानक पूरें हैं तो उन भवनों में शासनादेश लागू होने से पूर्व निर्मित निर्माण को शमन शुल्क की छूट हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाए।

(2) ऐसे व्यवसायिक भवन जो प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित होने से पूर्व निर्मित हैं तथा वर्तमान में आंशिक निर्माण किया जा रहा है, के सम्बन्ध में नये निर्माण पर ही शमन शुल्क आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

(3) शासन को प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त होने एवं शासनादेश लागू होने की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत यदि आवेदक द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु मानचित्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसका नये भवन मनचित्र प्रस्ताव के अनुसार निस्तारण कर लिया जाए।

(4) नैनीताल–ज्योलीकोट–काठगोदाम क्षेत्र एवं तल्ला–रामगढ़ से नथुवाखान मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी0 हवाई दूरी के क्षेत्र को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन से संदर्भित किया जाए।

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

सर्वसम्मति से जनहित के दृष्टिगत सार्वजनिक शौंचालय के निर्माण के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद, नैनीताल से भू-स्वामित्व एवं भूमि की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करते हुये चिन्हित भूमि की प्राधिकरण एवं नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये जाने के उपरान्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर प्रस्ताव तैयार करवाते हुये धनावंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या– 24.40 (15)

नैनीताल–भवाली, गरमपानी–खैरना, धानाचूली बैण्ड में सार्वजनिक शौंचालय एवं महिला स्वयं सहायता समूह हेतु आउटलेट निर्माण के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:– *उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा जनहित के दृष्टिगत नैनीताल–भवाली मुख्य मोटर मार्ग, गरमपानी–खैरना मुख्य मोटर मार्ग एवं धानाचूली बैण्ड में सार्वजनिक शौंचालय एवं महिला स्वयं सहायता समूह हेतु आउटलेट निर्माण की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया।*

सर्वसम्मति से जनहित के दृष्टिगत प्रस्तावित स्थलों पर सार्वजनिक शौंचालय एवं स्वयं सहायता समूह हेतु आउटलेट निर्माण हेतु राजस्व विभाग से भूमि का चिन्हांकन कराते हुये प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या– 24.40 (16)

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी के परिसर में टाईल्स लगाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:– *बोर्ड बैठक में उपस्थित, नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम के पार्षद (निर्वाचित) द्वारा जनहित के दृष्टिगत सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी के परिसर में टाईल्स लगाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।*

सर्वसम्मति से सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी के परिसर में टाईल्स लगाये हेतु प्राधिकरण स्तर से प्रस्ताव तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में, उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल

आयुक्त / अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

Annexure-6

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि

उत्तराखण्ड

आवास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

खण्ड– 1

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम–2011
(संशोधन 2015–2019)

खण्ड– 2

हैबिटाट परियोजनाओं पर अनुज्ञा की प्रकिया

खण्ड– 3

परिशिष्ट

खण्ड– 4

प्रपत्र

खण्ड–5

Amendments in Order of Ease of Doing Business

खण्ड–6

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) से सम्बन्धित शासनादेश / विनियम

खण्ड–7

शुल्क–भवन मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित विभिन्न शुल्क / शमन शुल्क

खण्ड–8

एकबार समाधान योजना (OTS)

खण्ड–9

भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी शासनादेश

खण्ड–10

अन्य सम्बन्धित शासनादेश

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

खण्ड– 1

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम

CHAPTER – I अध्याय – 1		TITLE AND COMMENCEMENT उपविधि/ विनियम प्रसार	6
CHAPTER – II अध्याय – 2		DEFINITIONS परिभाषाएं	7–16
CHAPTER – III अध्याय – 3		PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BUILDING APPLICATION AND OCCUPATION. भूमि विकास/भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु अनिवार्यताएं	17–22
CHAPTER – IV अध्याय – 4		SITE DEVELOPMENT PARAMETERS FOR BUILDINGS/ PROJECTS OTHER THAN SPECIAL TOWNSHIP	
	4.1	APPROACH ROAD- MINIMUM EXISTING WIDTH / WIDTH AS PER MASTER PLAN पहुँच मार्ग की विद्यमान न्यूनतम चौड़ाई/महायोजना में निर्धारित चौड़ाई	23
	4.2	MINIMUM PLOT AREA भूखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल	26
	4.3	MIXED USE मिश्रित उपयोग की परियोजनाऐं	27
	4.4	SITE LOCATION- OTHER PARAMETERS भूखण्ड हेतु अन्य अपेक्षायें (अ) इलैक्ट्रिक लाइन से दूरी (ब) जल स्रोत से दूरी (स) स्थानीय ढ़ाल पर निर्माण (द) स्थल योजना की अपेक्षा (ई) Conservation of Heritage Sites including Heritage Buildings, Heritage precincts and natural feature areas	28
CHAPTER – V अध्याय – 5		GENERAL BUILDING REQUIREMENTS भवन निर्माण हेतु अन्य अपेक्षायें	
	5.1	HEIGHT OF THE BUILDING भवन की ऊँचाई	30
	5.2	EXTERIOR OPEN SPACES/SET-BACKS (अ) सेट बैक , SETBACKS (ब) दो ब्लॉक के मध्य दूरी DISTANCE BETWEEN TWO BLOCKS (स) सेट बैक में छूट RELAXATION IN SETBACKS	34

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

4.4 **SITE LOCATION- OTHER PARAMETERS**

भूखण्ड हेतु अन्य अपेक्षायें

(I) Road Side Land Control Act 1945

ऐसे भूखण्ड जो ऐसे मुख्य मार्ग पर स्थित हों जहां Road Side Land Control Act 1945 प्रभावी होता है, पर निर्माण की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित विभाग से अन्नापत्ति आवश्यक होगी।

(II) इलैक्ट्रिक लाइन से दूरी :

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुज्ञा हेतु न्यूनतम दूरी निम्नानुसार होगी:-

(i) लो एण्ड मीडिएम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन पर उर्ध्वाधर 2.5 मीटर तथा क्षैतिज 1.2 मीटर होने पर दी जाएगी।

(ii) हाई वोल्टेज लाइन्स यथा 33,000 वोल्टेज होने पर उर्ध्वाधर 3.7 मीटर तथा क्षैतिज 2.0 मीटर होने पर दी जाएगी।

(iii) 33,000 वोल्टेज से ऊपर अतिरिक्त हाई वोल्टेज लाईन से उर्ध्वाधर 3.7 मीटर के प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज या उसके भाग के लिए 0.3 मीटर तथा क्षैतिज से 2.0 मीटर के प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज या उसके भाग के लिए 0.3 मीटर अनुमन्य होगी।

नोट– विशेष परिस्थितियों में हाई वोल्टेज लाईन के नीचे स्थित भूमि का सार्वजनिक खुले स्थल यथा– टोटलोट्स, पार्क आदि के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

(III) जल स्रोत से दूरी :

जल स्रोत से निम्न दूरी उपरान्त भू–खण्ड सीमा का निर्धारण होगा।

(i) नदी के तट से न्यूनतम 30.0–30.0 मीटर व भूगर्भीय जल स्रोतों से न्यूनतम 10.0–10.0 मीटर पर सघन वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य होगा व किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) नालों के तट से न्यूनतम 5–5 मीटर एवं उपविधि के अनुसार आवश्यक सैट बैक में जो अधिक हो, के पश्चात् ही निर्माण अनुमन्य किया जायेगा।

(iii) नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र एवं उत्तराखण्ड में विद्यमान सभी झीलों के तट/बाउन्ड्री से अथवा प्राकृतिक जलाशयों की अधिकतम निर्धारित सतह में से जो भी अधिक हो, से 30.00 मीटर की परिधि के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के निर्माण एवं विकास की अनुमति नहीं देय होगी। सामुदायिक सेवाओं व तत्सम्बन्धी जनहित की अवस्थापना सुविधाओं हेतु विशेष परिस्थिति में सक्षम स्तर पर निर्णयोपरान्त आवश्यक निर्माण/ विकास कार्य कतिपय प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य किया जा सकता है।

(IV) स्थानीय ढ़ाल पर निर्माण:

(i) भूखण्ड की ढाल हेतु मानचित्र में दो मीटर अन्तराल पर भूमि का कन्टूर प्लान एवं सैक्शन प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

(ii) ऐसे स्थलों पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जायेगा जिसमें भू–स्खलन की तीव्रता अत्याधिक व निरंतर संभावित हो अथवा उस स्थल की स्थानीय ढाल 30.0 अंश से अधिक हो।

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

To,

1. The District Magistrate,
   Nainital

Date: 28-01-2026

2. The Principal Secretary,
   Environment and Forest
   Dehradun,

Subject: Intimation in lieu of the hearing dated 27th January, 2026, in Original Application No. 290/ 2025, bearing title, "Hemant Singh Gonia versus State of Uttarakhand & Ors", before the Hon'ble National Green Tribunal.

Sir,

With due respect, this is to inform you that the above-mentioned matter was listed before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on 27th January, 2026. In accordance with the oral directions of the Hon'ble Tribunal, the present intimation is being issued for your information and necessary action.

During the course of hearing, it was submitted that as per the revenue records, Shipra is recorded as a drain and not as a river. The Hon'ble Bench sought clarification as to whether the said water body was subsequently converted into a drain and also took note of the presence of rivulets in the surrounding area. It was further stated that a storm water drain exists in front of the concerned area and that no sewage is being discharged therein.

The Hon'ble Tribunal further sought clarification regarding the origin of the said drain. It was submitted that the concerned stretch had been inspected at approximately 20–40 locations starting from Bhowali. It was also placed on record that 53 persons have been identified as encroachers by the District Development Authority (DDA).

The Hon'ble Bench raised concerns regarding the functioning of several hotels and establishments which have been operating for a number of years without obtaining the requisite statutory permissions. The Tribunal sought details regarding the year of establishment, extent of land encroached, and questioned how such establishments were permitted to function without the necessary approvals for such a prolonged period.

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

The Hon'ble Tribunal further expressed concern regarding the absence of effective action by the authorities and queried why no demolition or removal proceedings had been initiated despite the passage of time? The Bench also emphasized the need for visual documentation, including drone imagery, and suggested reference images of the stretch from Kainchi Dham to the downstream area, as it existed approximately fifty years ago.

The Hon'ble Bench also examined the adequacy of solid waste management arrangements, particularly in view of the heavy inflow of devotees during religious gatherings at Kainchi Dham. The Tribunal questioned the effectiveness of issuing show cause notices in the absence of concrete enforcement measures and suggested that a carrying capacity and management system, similar to the model of Badrinath-Kedarnath be adopted. The Bench further orally remarked that, despite the area being situated within the same State of Uttarakhand, the failure to implement a similar mechanism is unjustified and inexplicable.

During submissions, figures of ₹27,10,893 from garbage collection and ₹4,47,103 from recycling operations were remarked as revenue by the Hon'ble Bench, upon which the Bench sought clarification regarding the duration period over which such revenue was generated.

The Hon'ble Tribunal also impleaded the following authorities as additional respondents/parties to the proceedings:

1. Secretary, District Development Authority (DDA);

2. Chief Development Officer, Gram Panchayat, Nainital; and

3. Pradhan/Sarpanch, Kainchi Dham, Nainital.

The Hon'ble Tribunal expressed concern regarding the lack of effective compliance and also questioned the non compliance with the reports submitted by Peyjal Nigam, Bhimtal. The Bench further took note of the non-establishment of STPs, lack of budgetary sanction, and continued inaction at the level of the State authorities.

The Hon'ble Bench further observed that once any State authority is impleaded as a party, responsibility cannot be dis-aggregated, and the State as a whole remains accountable for compliance. The absence of any Standard Operating Procedure (SOP) for environmental management in the concerned area was also noted.

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

The Hon'ble NGT further made oral observations to the effect that when illegal constructions were taking place, no action was taken by the concerned authorities. It was observed that only after the Tribunal took cognizance of the matter were show cause notices issued. The Tribunal further questioned why the encroached properties have not been demolished till date and also noted that even now there appears to be no clarity regarding the extent of demolition proposed to be carried out.

Final Directions of the Hon'ble Tribunal:

1. The grievance raised by the appellant regarding pollution of River Shipra at Kainchi Dham and non-compliance with the Solid Waste Management Rules, 2016 was taken on record.

2. Respondent No. 5, Secretary, District Development Authority (DDA) was directed to consider the facts and circumstances of the case and ensure proper maintenance by the said Authority.

3. Respondent No. 5, Secretary, District Development Authority (DDA) was further directed to furnish complete details regarding constructions and encroachments, including names of encroachers and the extent of encroachment, and to take appropriate action for removal thereof.

3. Respondents Nos. 6 and 7, Chief Development Officer, Pradhan Gram Panchayat through Sarpanch, Kainchi Dham, Nainital, were directed to provide details of action taken with respect to solid waste management and ensure full compliance with the applicable rules.

For your kind reference and convenience, a copy of the order passed by the Hon'ble NGT is enclosed herewith.

Thanking You,
Warmest Regards,
Deepak Bora,
Counsel for The State of Uttarakhand NGT

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

Item No. 03

Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 290/2025

Hemant Singh Gonia and Others. Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

Date of hearing: 27.01.2026

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicants: None for the applicant.

Respondents: Mr. Deepak Bora, Advocate for respondents no. 1 to 3.
Mr. Mukesh Verma, Advocate for respondent no. 4.

ORDER

1. The Applicants- Hemant Singh Gonia and other residents of Hira Vihar, Kenal Road, Malla Gorakhpur Tikonia, Haldwani, Nanital, Uttarakhand have sent present letter petition dated 03.03.2024 to this Tribunal, which has been treated and registered as O.A. No. 290/2025.

2. The applicants have raised grievances regarding pollution of River Shipra in Kainchi Dham in district Nainital and lack of proper management of Solid Waste and sewage and industrial/commercial effluent.

3. In view of the averments made in the original application, observations made in the report of the Joint Committee and the facts and circumstances of the case, we consider presence of District Development Authority Nainital through its Secretary, Chief Development Officer, Nainital and Gram Panchayat, Kainchi Dham through its Sarpanch to be

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case and accordingly they are impleaded as respondents no. 5, 6 and 7.

4. The Registry is directed to amend the memo of parties and to issue notices to newly added respondents no. 5, 6 and 7.

5. Mr. Deepak Bora, learned counsel, who is already appearing for respondents no. 1 to 3 has accepted notice for newly added respondents no. 5, 6 and 7.

6. Learned counsel for respondents no. 1 to 3 and 5 to 7 seeks one months' time for filing responses on behalf of respondents no. 5 to 7.

7. Response by respondents no. 5 to 7 may be filed within one month. In its response, respondent no. 5 shall give all requisite details regarding constructions raised and compliance status thereof, encroachments if any made with names of the encroachers, names, parentage and address of the encroacher, also details of the area encroached upon and action taken for removal of encroachments.

8. In their responses, respondents no. 6 and 7 shall specifically mention all details regarding solid waste and sewage and industrial/commercial effluent management and compliance with Solid Waste Management Rules, 2016.

9. List on 16.03.2026 for further hearing.

Arun Kumar Tyagi, JM

सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 27th, 2026
Original Application No. 290/2025/AB